करने के आदेश प्रदान किये गये। इस निर्णय के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में अपील विचाराधीन है।

अतः इस न्यायालय द्वारा स्थगन के संबंध में कोई भी निर्णय पारित करना न्यायोचित प्रतीत नही होता है क्योकि यदि इस न्यायालय द्वारा प्रकरण में स्थगन आदेश जारी किया जाता है तो न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर द्वारा पारित निर्णय की पालना बाधित होगी। प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल, अजमरे में विचाराधीन है। प्रकरण में कोई भी निर्णय माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के निर्णय के अध्यधीन रहेगा।

अतः अपीलांट माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में अपना पक्ष रखने हेतु स्वतंत्र है।

उक्त विवेचना के आधार पर स्थगन प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अपीलांट खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब होकर आईन्दा दिनांक 24–12–2025 को पेश हो।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर
सत्यमेव जयते

24-12-25 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट उप.। अभिभाषक अपीलांट ने पत्रावली पर नोट प्रेस अंकित कर कथन किया कि पत्रावली को आगे चलाना नही चाहते। पत्रावली जरिये नोट प्रेस खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Not Press by Me
M.[illegible]

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर
सत्यमेव जयते